"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2011—चैत्र 4, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक 2260/डी-73/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24-02-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2008

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) अधिनियम के अनुसूची में सरल क्रमांक 2 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	कलिंगा विश्व-विद्यालय	भगवान श्री बाला सांई एजुकेशनल एंड चेरीटेबल सोसायटी, रायपुर.	फर्म्स एवं सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक-2561 छ. ग. राज्य दिनांक 08-01-04.	ग्राम कोटनी, पलौद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर.	छत्तीसगढ़ राज्य	मैनेजमेंट कम्प्यूटर साईंस इनफारमेशन टेक्नालॉजी, बायो टेक्नालाजी, बायो इंफार्मेटिक्स, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान पाठ्यक्रम.
4.	आई.सी.एफ. ए.आई. विश्वविद्यालय	दि आई.सी.एफ. ए.आई. सोसायटी रायपुर.	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) पंजीयन क्रमांक-छ.रा./203 दिनांक 25 जुलाई, 2002.	ग्राम चोरहा, आर.आई. सर्किल, अहिवारा, तह. धमधा जिला-दुर्ग (छ.ग.)	छत्तीसगढ़ राज्य	व्यवसाय प्रबंधन, व्यवसाय, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कला, ह्यूमनटीज, विधि, शिक्षा, विज्ञान तथा उससे संबंधित विषय.

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक 2260/डी-73/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 06 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 6 of 2011)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2008

An Act to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Ninth year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2006. **Short title, extent and Commence-ment.**

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In schedule of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) Act after serial No. (2) the following serial and the entries related thereto, shall be added. **Amendment of Schedule.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Kalinga University	Bhagwan Bala Sai Educational and Charitable Society, Raipur.	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. CG State 2561 dated 8-1-2004.	Gram Kotni, Palod, Teh.-Arang District-Raipur (C.G.)	Chhattisgarh State.	Manage-ment Com-puter Science, Information Technology, Bio Techno-logy, Bio Informatics, UG and PG in Arts, Science and Commerce faculties.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	I.C.F.A.I. University	The I.C.F.A.I. Society, Raipur.	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. CG State 203 dated 25-6-2002.	Gram Chorha, R.I. Circle Ahiwara Dhamdha Distt.-Durg (C.G.)	Chhattisgarh State.	Business Management, Commerce, Information Technology, Arts, Humanities, Law, Education, Science & related subject.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.